रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

307] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 1985/आषाढ़ 25, 1907
No. 307] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 1985/ASADHA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1985

अधिसूचना

सं. 162/85—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (8 वां संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 2 के खण्ड (ii) (क) में,—

(क) उपखण्ड (थ) में, "ऊपर (त) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र में" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "ऊपर (त) और नगर पालिक वार्ड टी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपखण्ड (न) में, "जिलों में" शब्दों के स्थान पर, "बृहत्तर मुम्बई की नगर निगम के नगर पालिक वार्ड टी में समाविष्ट क्षेत्र में और जिलों में" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 201/2/85-के-उ.शु-6]
वी. के. अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th July, 1985

NOTIFICATION

NO. 162|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 582(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (8th Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (ii) (A) of rule 2 of the Central Excise Rules, 1944,—

(a) in sub-clause (q), for the words, brackets and letter "in the area other than those specified in (p) above," , the words, brackets and letters "in the areas other than those specified in (p) above and Municipal Ward T," shall be substituted;

(b) in sub-clause (t), for the words "in the districts", the words and letter "in the area comprising Municipal Ward T of the Municipal Corporation of Greater Bombay and in the districts" shall be substituted.

[F. No. 201|2|85-CX. 6]

V. K. AGRAWAL, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985